



HEADQUARTER OFFICE  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
'PANCHDEEP BHAWAN': C.I.G. MARG: NEW DELHI

No. R-14/13/99-Bft.II

18.11.2013

To

All RDs /Jt. Dir I/C,  
RO/SRO/DO,  
ESI Corporation,

**Sub:- Enhancement of Confinement Expenses from Rs.2500/- to Rs.5,000/-**

Sir,

Kindly refer to the copy of Notification regarding amendment in Rule 56-A forwarded by P&D Branch Hqrs. Office vide its letter No.X-11/14/1/2002-P&D dated 11/10/2013. As per the said amendment the **Confinement Expenses** has been increased from Rs.2500/- to Rs. 5000/- w.e.f. 1.10.2013. You are requested to bring this to the notice of all concerned under your control for strict compliance.

This issues with the approval of Additional Commissioner (Bft).

Receipt of this letter may please be acknowledged..

Yours faithfully

(K.N. Chamoli)  
Asst.Director(Bft.)

Copy to:-

1. All Officers of Hqrs. Office,including NTA Dwarka
2. Website Content Manager Hqrs. Office for uploading in the ESIC Website.

वेबसाइट की विषय-सूची का प्रबंधन.....  
Website Contents Management.....  
डाकरी सं./Diary No..... 811  
दिनांक/Date..... 25/11/13

Asst.Director(Bft.)



चिन्ता से मुक्ति

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
Headquarters, Employees' State Insurance  
Corporation

(आई एस ओ 9001-2000 (क्यू एम एस )प्रमाणित)  
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002  
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्या: आर-14/13/99-हितलाभ-2

दिनांक 18.11.2013

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक,  
क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय  
क.रा.बी.निगम

विषय:- प्रसव व्यय 2500/-रुपये से बढ़ाकर 5000/-रुपये किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

योजना और विकास शाखा, मुख्यालय द्वारा उसके पत्र संख्या एक्स-11/14/1/2002-यो.एवं वि. दिनांक 11.10.2013 के साथ नियम 56-क में संशोधन के संदर्भ में अग्रसारित की गई अधिसूचना की प्रति का कृपया संदर्भ लें । उक्त संशोधन के अनुसार प्रसव व्यय 2500/-रुपये से बढ़ाकर 5000/-रुपये कर दिया गया है जो कि दिनांक 1.10.2013 से प्रभावी है । अतः अनुरोध है कि इसके कड़ाई से अनुपालन हेतु इसे आपके नियंत्रणाधीन सबके संज्ञान में लाया जाए ।

यह अपर आयुक्त (हितलाभ) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय

(के.एन.चमोली)

सहायक निदेशक(हितलाभ)

प्रतिलिपि:-

1. राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका सहित मुख्यालय के सभी अधिकारी ।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को क.रा.बी.निगम की वेबसाइट में डालने हेतु ।

(के.एन.चमोली)

सहायक निदेशक(हितलाभ)